उत्तर प्रदेश विधान परिषद के द्वितीय सत्र, 2025 के प्रथम बुधवार के लिये निर्धारित श्री शाहनवाज खान, मा० सदस्य, विधान परिषद द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-11 का उत्तर।

प्रश्न	**उत्तर**
11-(क) क्या मुख्य मंत्री बतायेंगे कि सहारनपुर में हो रहे अवैध खनन को संज्ञान में लेकर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?	वित्तीय वर्ष 2025-26 में जनपद में अवैध खनन के कुल 27 प्रकरण संज्ञान में आये, जिन पर लगभग रु० 530.49 लाख का जुर्माना अधिरोपित किया गया, जिसके सापेक्ष 23 प्रकरणों में जुर्माना स्वरुप लगभग रु० 229.00 लाख का राजस्व जमा कराया गया है। 04 प्रकरणों में सम्बन्धित के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी है तथा शेष धनराशि की नियमानुसार नोटिस/वसूली मांग पत्र निर्गत कर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।
(ख) तहसील-बेहट, ग्राम-रहना के खसरा नंबर 67/1 व उसके आस पास हो रहे अवैध खनन के कारण खारा जल विद्युत परियोजना व CISF कॉलोनी को सीधा खतरा हैं?	ग्राम-रहना में खसरा नम्बर 67/1 में अवैध खनन का कोई प्रकरण संज्ञान में नहीं आया है। खारा जल विद्युत परियोजना एवं सी.आई.एस.एफ. कॉलोनी को खतरा होने सम्बन्धी कोई भी शिकायत/सूचना कार्यालय में प्राप्त नहीं हुयी है। इसके अतिरिक्त उक्त गाटा संख्याओं से सी.आई.एस.एफ. कॉलोनी की हवाई दूरी 250 मी० तथा खारा जल विद्युत परियोजना की हवाई दूरी 500 मीटर से अधिक है।
(ग) क्या यह प्रकरण सरकार के संज्ञान में है और अगर है तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी?	लागू नहीं।
(घ) यदि अब तक कार्यवाही नहीं गयी, तो कब तक कार्यवाही करायेंगे?	लागू नहीं।

योगी आदित्यनाथ
मुख्यमंत्री।